रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 496] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 17, 1975/अग्रहायण 26, 1897
No. 496] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 17, 1975/AGRAHAYANA 26, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th December 1975

S. O. 708 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of the Gold (Control) Act, 1968 (45 of 1968), I, M. G. Abrol, the Administrator, hereby direct that the following further amendments shall be made in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. S. O. 4304, dated the 2nd December, 1968, namely :—

In the said notification, in the Table, after serial No. 1, the following shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)
"1A	Deputy Secretary, Office of the Gold Administrator at Bombay.	Regional Control	Sub-section (1) of section 9.	To call for an account of gold acquired under authorisation issued by the Administrator.
1B	Collector of Central Excise.		Sub-sections (1), (3) and (4) of section 16.	To grant extension of time for filing declarations."

[No. 18/75—F. 140/10/74-GC.II]

M. G. ABROL,
Gold Control Administrator.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1975

का० आ० 708(अ).—स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 (1968 का 45) की धारा 4 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एम० जी० अग्रोल, प्रशासक, यह निदेश देता हूं कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 4304, तारीख 2 दिसम्बर, 1968 में निम्नलिखित और संशोधन किए जाएंगे, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में क्रम सं० 1 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)
"1क	उप सचिव, स्वर्ण नियंत्रण प्रशासक का क्षेत्रीय कार्यालय मुम्बई	धारा 9 की उपधारा (1)	प्रशासक द्वारा जारी किए गए प्राधिकार के अधीन अर्जित स्वर्ण का लेखा मंगाना ।
1ख	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर	धारा 16 की उपधारा (1), (3) और (4)	घोषणा देने के लिए समय बढ़ाना ।"

[सं० 18/75—फा० 140/10/74-स्व० नि० II]

एम० जी० अग्रोल,
स्वर्ण नियंत्रण प्रशासक ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975